

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18012023-242040 CG-MH-E-18012023-242040

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944 No. 42] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 17 जनवरी, 2023

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2023

- सं. सेबी/एल.ए.डी./जी.एन./2023/116.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।
- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे:
 परंतु यह कि विनियम 17, अनुसूची-V तथा अनुसूची-VI में किए गए संशोधन उस तारीख को लागू होंगे, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाए।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में -
 - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (गख) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 - "(गग) "अर्हित स्टॉक दलाल" (क्वॉलिफाइड स्टॉक ब्रोकर) का अर्थ है वह स्टॉक दलाल, जिसका उल्लेख इन विनियमों के विनियम 18घ में किया गया है।"

408 GI/2023 (1)

- II. विनियम 17 में, उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- "(1क) 'केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म संबंधी खंड' (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म सेगमेंट) का स्टॉक दलाल बही-खाते (लेखा-बहियाँ), रिकॉर्ड और दस्तावेज रखेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।"
- III. विनियम 18क के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"अर्हित स्टॉक दलालों के लिए अतिरिक्त बाध्यताएँ और जिम्मेदारियाँ

18घ. (1) बोर्ड किसी स्टॉक दलाल को, उसके कामकाज के दायरे, निवेशकों तथा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के प्रति उसके महत्त्व और उसके संचालन (गवर्नेंस) के स्तर तथा उसकी सेवाओं के स्तर के मद्देनज़र, निम्नलिखित मापदंडों आदि के आधार पर समुचित रूप से विचार करके अर्हित स्टॉक दलाल के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा कि:-

- क) सक्रिय ग्राहकों की कुल संख्या कितनी है;
- ख) स्टॉक दलाल के पास ग्राहकों की कुल कितनी आस्तियाँ (असेट) पड़ी हैं;
- ग) स्टॉक दलाल के जरिए कितनी सौदेबाजी होती है (उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है);
- घ) एक दिन के अंत में स्टॉक दलाल के सभी ग्राहकों की मार्जिन के संबंध में देनदारी कितनी बनती है;
- ङ) पालन के आधार पर अंक (कम्प्लायन्स स्कोर) कितना बनता है, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;
- च) शिकायत निवारण के आधार पर अंक (ग्रीवान्स रिड्रेसल स्कोर कितना) कितना बनता है, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए;
- छ) स्टॉक दलाल अपने लिए कितनी सौदेबाजी करता है (उसका प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है) ।
- (2) अर्हित स्टॉक दलाल के रूप में नामनिर्दिष्ट किए गए स्टॉक दलाल के लिए अतिरिक्त बाध्यताओं को पूरा करना और जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी होगा, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसके यहाँ:-
 - क) संचालन (गवर्नेंस) की उपयुक्त व्यवस्था और प्रक्रियाएँ हों;
 - ख) जोखिम प्रबंधन के संबंध में उपयुक्त नीति और प्रक्रियाएँ हों;
 - ग) पर्याप्त क्षमता वाला बुनियादी ढाँचा हो और पर्याप्त तकनीक हो;
 - घ) सुव्यवस्थित तरीके से बंद करने (वाइंडिंग डाउन करने) का ढांचा हो;
 - ङ) साइबर सुरक्षा के लिहाज से मजबूत ढाँचा और प्रक्रियाएँ हों; और
 - च) निवेशक सेवाओं की उपयुक्त व्यवस्था हो, जिसमें शिकायत निवारण की ऑनलाइन व्यवस्था शामिल है।"
- IV. अनुसूची-V में, भाग-ख में, खंड 3 में, उप-खंड (1) में, सारणी में, "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद खंड" संबंधी पंक्ति के बाद, निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

खंड (सेगमेंट)	दर / रकम (` में	टिप्पणियाँ		
	स्टॉक दलाल	समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर)	स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर)	
केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म)	*	*	*	

"

V. अनुसूची-VI में,

(i) सारणी-1 में, टिप्पणी "# सदस्यों (मेंबर) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) मूलभूत शुद्ध-मालियत (बेस नेटवर्थ) या परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ), जो भी अधिक हो, होगी ।" के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थातु,-

"हालाँकि, परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) की अपेक्षा 'केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म संबंधी खंड' (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म सेगमेंट) के प्रति लागू नहीं होगी ।"

(ii) सारणी-2 में, "इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद" खंड संबंधी पंक्ति के बाद निम्नलिखित नई पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

खंड (सेगमेंट)	व्यापारिक सदस्य	समाशोधन सदस्य	स्व-समाशोधन सदस्य
	(ट्रेडिंग मेंबर)	(क्लीयरिंग मेंबर)	(सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर)
	(`में)	[` में]	[`में]
केवल सौदा पूरा करवाने वाले प्लेटफॉर्म (एग्ज़िक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म)	*	*	*

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./568/2022-23]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, का.आ. सं. 780 (अ), 23 अक्तूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
 - क) 28 नवम्बर 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा
 - ख) 5 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 13(अ), द्वारा
 - ग) 21 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 75(अ), द्वारा
 - घ) 16 दिसम्बर 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 1078(अ), द्वारा
 - ङ) 6 जुलाई 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 541(अ), द्वारा
 - च) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 234(अ), द्वारा
 - छ) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
 - ज) 30 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 787 (अ), द्वारा

- झ) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा
- ञ) 15 नवम्बर 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 1128(अ), द्वारा
- ट) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 220(अ), द्वारा
- ठ)
 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
- ड) 23 सितम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1095(अ), द्वारा
- ढ) 20 नवम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/20795/2003, द्वारा
- ण) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
- त) 1 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1235(अ), द्वारा
- थ) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1447 (अ), द्वारा
- द) 25 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1600 (अ), द्वारा
- ध) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- न) 11 अगस्त 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा
- प) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा
- फ) 19 नवम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853, द्वारा
- ब) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/06/1097, द्वारा
- भ) 6 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486, द्वारा
- म) 19 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- य) 17 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/19/26273, द्वारा

- कक) 5 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/01/8129, द्वारा
- खख) 27 सितम्बर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/25/24775, द्वारा
- गग) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- घघ) 8 अक्तूबर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/15/1671, द्वारा
- ङङ) 8 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएल/2015-16/017, द्वारा
- चच) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित]
- छछ) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/005, द्वारा
- जज) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/03, द्वारा
- झझ) 30 जुलाई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/27, द्वारा
- ञञ) 22 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/30, द्वारा
- टट) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- ठठ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/11, द्वारा
- डड) 30 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14, द्वारा
- ढढ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा
- णण) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- तत) 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/73, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (STOCK BROKERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/116.— In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, namely: -

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2023.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
 - Provided that the amendments in Regulation 17, Schedule V and Schedule VI shall come into force on such date as the Board may by notification appoint in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992 -
- I. in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (cb), the following new clause shall be inserted, namely, "(cc) "qualified stock broker" means a stock broker referred to in regulation 18D of these regulations;"
- II. in Regulation 17, after sub-regulation (1), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
 - "(1A) A stock broker in the Execution Only Platforms segment, shall keep and maintain the books of account, records and documents as may be specified by the Board from time to time."
- III. after regulation 18A, the following new regulation shall be inserted, namely, -

"Enhanced obligations and responsibilities for qualified stock brokers.

- 18D. (1) The Board may designate a stock broker as a qualified stock broker having regard to its size and scale of operations, likely impact on investors and securities market, as well as governance and service standards, on the basis of the following parameters and the appropriate weightages thereon:
 - a) the total number of active clients;
 - b) the available total assets of clients with the stock broker;
 - c) the trading volumes of the stock broker;
 - d) the end of day margin obligations of all clients of a stock broker;
 - e) compliance score as may be specified by the Board;
 - f) grievance redressal score as may be specified by the Board; and
 - g) the proprietary trading volumes of the stock broker.
 - (2). The stock broker designated as a qualified stock broker shall be required to meet enhanced obligations and discharge responsibilities to ensure:
 - a) appropriate governance structure and processes;
 - b) appropriate risk management policy and processes;
 - c) scalable infrastructure and appropriate technical capacity;
 - d) framework for orderly winding down;
 - e) robust cyber security framework and processes; and
 - f) investor services including online complaint redressal mechanism."

IV. in Schedule V, in Part B, in clause 3, in sub-clause (1), in the Table, after the row for the 'Electronic Gold Receipt Segment', the following row shall be inserted, namely, -

"

[भाग III—खण्ड 4]

Segment	Rate/Amount (in	Remarks		
	Stock broker	Clearing member	Self-clearing member	-
Execution	*	*	*	
Only Platforms				

,

V. in Schedule VI,

(i) in Table 1, after the remarks "# Networth requirement for members shall be Base Networth or Variable Networth, whichever is higher.", the following shall be inserted, namely,-

"However, the requirement of Variable Networth shall not be applicable for Execution Only Platforms segment."

(ii) in Table 2, after the row for the 'Electronic Gold Receipts' Segment, the following new row shall be inserted, namely,-

"

Segment		Trading Member (in ₹)	Clearing member (in ₹)	Self-clearing member (in ₹)
Execution Platforms	Only	*	*	*

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./568/2022-23]

Footnotes:

- 1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780 (E).
- 2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
 - a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).
 - b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13 (E).
 - c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75 (E).
 - d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078 (E).
 - e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 541 (E).
 - f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234 (E).
 - g) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).
 - h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 787 (E).

- i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
- j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 1128 (E).
- k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002vide S.O. No. 220 (E).
- 1) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).
- m) September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1095 (E).
- n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI /LAD /20795 /2003.
- o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
- p) August 1, 2006 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1235 (E).
- q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1447 (E).
- r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1600(E).
- s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.
- t) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LADNRO/GN/2008/20/134766.
- u) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/ GN/2009-10/11/167759.
- v) November 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/GN/2009-10/21/183853.
- w) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LADNRO/GN/2010-11/06/1097.
- x) April 6, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. F. No. LAD –NRO/ GN/ 2011 –12/01/11486.
- y) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment)Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.
- z) August 17, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/19/26273.
- aa) April 5, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/01/8129.
- bb) September 27, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. No. LADNRO/GN/2013-14/25/24775.
- cc) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

- dd) October 8, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/15/1671.
- ee) September 8, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2015 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2015-16/017.
- ff) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/038.
- gg) July 13, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2017-18/005.
- hh) March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/03.
- ii) July 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/27.
- jj) March 22, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/03.
- kk) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- II) May 08, 2020 the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/011.
- mm) March 30, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/14.
- nn) May 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
- oo) August 03, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- pp) February 23, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/73.